

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-5202

दिनांक: 29-10-10

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 156वीं बैठक दिनांक 21.10.2010 में लिये गये निर्णय का विवरण

| क्र.स. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|--------|-------|--|---|-------------------|---------------|
| 1 | 156.1 | कार्यकारी समिति की 155वीं बैठक दिनांक 21.09.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। | (i) एजेण्डा संख्या 155.4 के संबंध में विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर संस्थान की भूमि तक मात्र प्रस्तावित सैक्टर सडक उपलब्ध है। अतः किसी तरह के विद्यमान रास्ता या सडक से अप्रोच नही होने के कारण स्थगित किया गया। (ii) एजेण्डा संख्या 155.18 के संबंध में निर्णय लिया गया कि:- Name of Lowest Tender may be corrected as M/s Laxmi Narayan Agarwal (J.V.) Kohinoor Decorators. | | |
| 2 | 156.2 | कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या एफ-158, के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-158 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 3 | 156.3 | कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या आई-41, के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या एफ-158 की राशि विलम्ब से जमा कराने पर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 4 | 156.4 | कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या एफ-339, के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-339 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 5 | 156.5 | कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी-141, के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-141 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 6 | 156.6 | रजत विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी-287, के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रजत विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी-287 की राशि विलम्ब से जमा कराने पर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-12 | |

उतव

| क्र.सं. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|--|--------|---|--|--|---------------|
| 7 | 156.7 | श्री कमलेश जैन, वरिष्ठ सहायक द्वारा स्वयं का ईलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये जाने पर हुये व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री कमलेश जैन, वरिष्ठ सहायक द्वारा स्वयं का ईलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये जाने पर हुये व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 8 | 156.8 | Approval of change in form of Printed Agreement condition. | After Discussion E.C. Decided to approve the proposal. | Executive Eng. (Pro.-3) | |
| 9 | 156.9 | निलामी से क़य किये गये मुरलीपुरा योजना में दुकान संख्या 105 क्षेत्रफल 19.99 व.मी. की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निलामी से क़य किये गये मुरलीपुरा योजना में दुकान संख्या 105 क्षेत्रफल 19.99 व.मी. की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण) | |
| 10 | 156.10 | निलामी से क़य किये गये मुरलीपुरा योजना में दुकान संख्या 101 क्षेत्रफल 19.99 व.मी. की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निलामी से क़य किये गये मुरलीपुरा योजना में दुकान संख्या 101 क्षेत्रफल 19.99 व.मी. की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण) | |
| 11 | 156.11 | प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA) | | | | | |
| 12 | 156.12 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम विधानी तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 170, 171, 174/1 कुल रकबा 0.43 हैक्ट. भूमि में से एच.टी.लाईन व सडक से प्रभावित 346.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 3954.00 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में औद्योगिक से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री कुलदीप सिंह बेदी) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम विधानी तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 170, 171, 174/1 कुल रकबा 0.43 हैक्ट. भूमि में से एच.टी.लाईन व सडक से प्रभावित 346.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 3954.00 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवेदित भूमि पर बने 176 व. मी. पर निर्मित पुराने भवन एवं टीन शेड को हटाने की शर्त पर मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में औद्योगिक से पर्यटन ईकाई (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |

Handwritten signature

| क्र.सं. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|---------|--------|---|--|----------------------------------|---------------|
| 13 | 156.13 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 96/3 रकबा 17.03 बीघा भूमि में से हाईवे सडक सीमा में निहित होने वाली 6848.00 वर्गमीटर, प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाली भूमि क्षेत्रफल 6495.00 वर्गमीटर एवं 18 मीटर सडक सीमा में निहित 1522.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 28181.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. एडवेन्ट फूडस लि.) | <p>राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 96/3 रकबा 17.03 बीघा भूमि में से हाईवे सडक सीमा में निहित होने वाली 6848.00 वर्गमीटर, प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाली भूमि क्षेत्रफल 6495.00 वर्गमीटर एवं 18 मीटर सडक सीमा में निहित 1522.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 28181.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 96/3 रकबा 17.03 बीघा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन निम्न शर्तों के साथ निर्णय लिया गया कि :-</p> <p>(i) हाईवे सडक सीमा में निहित होने वाली 6848.00 वर्गमीटर भूमि।</p> <p>(ii) प्लान्टेशन कोरीडोर में आने वाली भूमि क्षेत्रफल 6495.00 वर्गमीटर भूमि।</p> <p>(iii) 18 मीटर सडक सीमा में निहित 1522.00 वर्गमीटर भूमि एवं आवेदित भूमि के उत्तर की ओर 18 मीटर सडक को मौके पर स्थित रास्ते तक लिंक करने हेतु सडक प्रस्तावित करते हुये सडक में निहित क्षेत्र एवं बिन्दु संख्या i, ii, iii में उल्लेखित भूमि को उपान्तरण योग्य भूमि में से कम किया जावे।</p> <p>(v) उपान्तरण से पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि में स्थित 11 के.वी. की हाईटैन्शन लाईन हटायी जावेगी।</p> <p>(vi) प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>(vii) संस्था द्वारा शर्तों की पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं? वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) व जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।</p> | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |

जाव

| क्र.स. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|--------|--------|---|---|----------------------------------|---------------|
| 14 | 156.14 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित भू.सं. 21, 22, 23, 37, 38 योजना करौली बाग (स्कीम नं. 16-बी) के पुर्नगठित भूखण्ड की 1910.81 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री दिनेश कुमार चौधरी) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित पुर्नगठित भू.सं. 21, 22, 23, 37, 38 योजना करौली बाग (स्कीम नं. 16-बी) क्षेत्रफल 1910.81 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से पर्यटन ईकाई (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने से पूर्व राज्य सरकार को पूर्वानुमति हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |
| 15 | 156.15 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मानपुर गेट तह. फागी के ख.नं. 250/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 250/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 250/6 रकबा 18 बिस्वा कित्ता 3 कुल रकबा 7 बीघा 13 अर्थात् 19349 वर्गमीटर भूमि में से 48 मीटर सडक सीमा में निहित होने वाली 1400 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 17949 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण से संस्थानिक उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (फोरसाईट इंडियन ट्रस्ट ओथराईज ट्रस्टी) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उपायुक्त द्वारा मौका निरीक्षण कर पहुंच मार्ग/सडक के संबंध में स्पष्ट विस्तृत रिपोर्ट दिये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करे। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |

yan


| क्र.स. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|--------|--------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 16 | 156.16 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खटवाडा तह. सांगानेर के ख.नं. 132 रकबा 0.01 हैक्ट., ख.नं. 133 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 130/1164 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 131/1165 रकबा 0.02 हैक्ट., ख. नं. 126 रकबा 0.69 हैक्ट., ख.नं. 127 रकबा 0.82 हैक्ट. ख.नं. 129 रकबा 0.01 हैक्ट., ख.नं. 130 रकबा 0.38 हैक्ट. ख.नं. 131 रकबा 0.31 हैक्ट. कित्ता 9 कुल रकबा 2.34 हैक्ट भूमि में से सडक सीमा में निहित 640.00 वर्गमीटर भूमि कम करते हुये शेष 22760.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक (शैक्षणिक) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मैसर्स रेडक्लिफ एज्युकेशन प्रा.लि.) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |
| 17 | 156.17 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 776, 783, 784, 787, 789, 774, 989 से 992, 775, 786, 788, 802, 803, 815, 800, 797, 798, 799, 811, 821, 815/1714, 816/1715, 166, 371, 388, 801/1689 कुल कित्ता 28 रकबा 13.59 हैक्टयर भूमि का भू-उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में विस्तृत एजेण्डा के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |

15/12/21

| क्र.स. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|--------|--------|---|--|----------------------------------|---------------|
| 18 | 156.18 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 91, 92 योजना रामनाथपुरी (श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति) कुल क्षेत्रफल 1310.54 वर्गगज जो मुख्य कालवाड रोड पर स्थित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार कालवाड रोड के समानान्तरण 100' गहराई तक की भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक दर्शाया गया है जिसमें पुर्नगठित भूखण्डों की 777.77 वर्गगज भूमि आती है शेष भूमि 532.77 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (गोवर्धन चौधरी पुत्र श्री उदयराम चौधरी, श्रीमती मधु चौधरी पत्नि श्री गोवर्धन चौधरी) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 91, 92 योजना रामनाथपुरी (श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति) कुल क्षेत्रफल 1310.54 वर्गगज जो मुख्य कालवाड रोड पर स्थित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार कालवाड रोड के समानान्तरण 100' गहराई तक की भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक दर्शाया गया है जिसमें पुर्नगठित भूखण्डों की 777.77 वर्गगज भूमि आती है शेष भूमि 532.77 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |
| 19 | 156.19 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कलवाडा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 1058, 1068, 1069, 1123, 1124, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132 किता 11 रकबा 3.92 हैक्ट. भूमि में से सैक्टर रोड में निहित होने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय (एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलेसी 2009 के तहत) किये जाने के संबंध में। (मै. मैजिस्ट्रिक रियल मार्ट प्रा.लि.) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कलवाडा तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 1058, 1068, 1069, 1123, 1124, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132 किता 11 रकबा 3.92 हैक्ट. भूमि में से सैक्टर रोड में निहित होने वाली 3036.00 वर्गमीटर भूमि को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 36164.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय (एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसे 2009 के तहत) किये जाने का निर्णय लिया गया। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |
| 20 | 156.20 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 के लिये बोनस /एक्सग्रेसिया एवं दीपावली उपहार 2010 के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 07.10.10 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया एवं दीपावली उपहार 2010 के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 07.10.10 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |

युनिट

| क्र.सं. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|---------|--------|---|--|----------------------------------|---------------|
| 21 | 156.21 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 626, 627, 631/2144, 632, 650, 651/2145, 651, 652, 653 किता 9 रकबा 4.30 हैक्ट. भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 4737.88 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त शेष 38262.12 व.मी. भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मोहक होटल प्रा.लि.) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 626, 627, 631/2144, 632, 650, 651/2145, 651, 652, 653 किता 9 रकबा 4.30 हैक्ट. भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 4737.88 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त शेष 38262.12 व.मी. भूमि का भू-उपयोग मानचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 10000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | |


 सदस्य सचिव
 कार्यकारी समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी- 5203
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 29-10-10

| क्र.स. | पद | विभाग का नाम |
|--------|--|--|
| 1 | विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार। |
| 2 | महापौर | जयपुर नगर निगम। |
| 3 | ज़िला प्रमुख | ज़िला परिषद, जयपुर। |
| 4 | अध्यक्ष | राजस्थान आवासन मण्डल। |
| 5 | प्रमुख शासन सचिव | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 6 | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 7 | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | रीको, जयपुर। |
| 8 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर। |
| 9 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। |
| 10 | ज़िला कलक्टर | ज़िला कलैक्ट्रेट, जयपुर। |
| 11 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | नगर निगम, जयपुर। |
| 12 | पुलिस अधीक्षक | पुलिस विभाग, जयपुर। |
| 13 | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 14 | मुख्य नगर नियोजक | नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर। |
| 15 | मुख्य अभियन्ता | सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। |
| 16 | मुख्य अभियन्ता | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। |
| 17 | मुख्य अभियन्ता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर। |
| 18 | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 19 | निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 20 | निदेशक (परियोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 21 | निदेशक (आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 22 | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 23 | अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 24 | वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 25 | विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 26 | उपायुक्त (समन्वय) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 27 | उपायुक्त जोन..... | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 28 | विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 156वीं बैठक दिनांक 21.10.10 को प्रा. 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

| क्र. सं. | नाम सदस्य/ अधिकारी | पद | विभाग | पदनाम |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | श्री सुधांशु पंत | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीमती सूचि शर्मा | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य सचिव |
| 3 | श्री एम.पी. स्वामी | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 4 | श्री एच.एस. संचेती | निदेशक (आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 5 | श्री डी.सी. जवंडा | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 6 | श्री एन.सी. माथुर | निदेशक (प्रोजेक्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 7 | श्री एस.के. पंचोली | निदेशक (अभियांत्रिकी) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 8 | श्री अशोक कुमार शर्मा | अति. पुलिस अधिक्षक | पुलिस हेडक्वार्टर | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 9 | श्री प्रेम चगुलानी | S.E. PWD City Circle Jaipur | PWD City Circle Jaipur | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 10 | श्री विनय शर्मा | XE (CDIV) JVVNL | JVVNL | सदस्य के प्रतिनिधि |
| अन्य अधिकारी उपस्थित | | | | |
| 11 | श्री शफी मोहम्मद कुरेशी | अति. आयुक्त (पूर्व) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 12 | श्री जाकिर हुसैन | अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 13 | श्री जे.पी. सिधल | S.E.-Pr.-2 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 14 | श्री मनोज सोनी | E.E-Pr.-2 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 15 | श्री नरेन्द्र सिंह | उपायुक्त जोन-2 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 16 | श्री पी.अरविन्द | एसटीपी (मास्टर प्लान) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 17 | श्री के.डी. पाण्डेय | तहसीलदार जोन-12 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |

सचिव,
जयपुर, जयपुर